न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

उकाराम पुत्र लालाजी, जाति-कुम्हार, निवासी- पालडी(एम.), तह. शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही
2. पटवारी, पटवार हल्का, पालडी(एम.), तह. शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 33/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 02 फरवरी, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पालडी एम., पटवार हल्का, पालडी एम. के अस्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3389 दिनांक 29.6.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी व उसके सह खातेदारों के नाम से ग्राम पालडी एम., पटवार हल्का, पालडी एम., तहसील- शिवगंज के खाता संख्या 25 खसरा संख्या 641 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 1150 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 1182 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। इस कृषि भूमि पर अपीलार्थी व सहखातेदारों ने अपने अलग अलग हिस्से अनुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, वर्तमान नाम भारतीय स्टेट बैंक, शाखा शिवगंज से कृषि ऋण प्राप्त कर उक्त भूमि को बैंक के नाम रहन रखते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष मे रहन नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। उक्त रहननामे को सभी खातेदारों द्वारा बैंक से प्राप्त किये गये ऋण का चुकता अदा [illegible] इन्द्राज करने हेतु अदेय प्रमाण पत्र तहसीलदार, शिवगंज के नाम से ज[illegible] किय[illegible] जिसकी पालना मे पटवारी हल्का, पालडी एम. ने दिनांक [illegible] को रहन [illegible] नामान्तरकरण दायर कर जांच हेतु भू अभिलेख निरीक्षक, [illegible] को [illegible] दिनांक [illegible] को भू अभिलेख निरीक्षीक [illegible] माफिक आदेश जांच क[illegible] इन्द्राज

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:03 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सही पाया गया'' करते हुए तहसीलदार, शिवगंज को नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज ने दिनांक 29.6.2018 को नामान्तरकरण अस्वीकृत करते हुए खारिज कर दिया। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बाद जांच इन्द्राज सही पाया जाने के बावजूद भी तहसीलदार, शिवगंज ने नामान्तरकरण को अस्वीकृत करने में कानूनन भूल की है। अपीलार्थी व उसके सहखातेदारों द्वारा नियमानुसार बैंक से रहन मुक्ति का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने ओर उक्त रहन मुक्ति प्रमाण पत्र में खसरा एवं खाता संख्यों का स्पष्ट अंकन व उल्लेख होने के बाद भी उक्त तथ्यों पर पर गौर नही कर तहसीलदार, शिवगंज ने नामान्तरकरण को खारिज करने में भूल की है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में रहन मुक्ति प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज के कार्यालय में दिये जाने से अपीलार्थी को यह विश्वास था कि प्रत्यर्थीगण ने रहन मुक्ति का नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत कर लिया होगा, लेकिन दिनांक 30.9.2020 को भूमि की जमाबंदी प्राप्त की तो पता चला कि इस भूमि का अभी तक बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है जिस पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण से सम्पर्क किया तो प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज ने यह बताया कि रहन प्रमाण पत्र में नाम मिलान नही होने से नामान्तरकरण को खारिज कर दिया है, जिस पर अपीलार्थी पुनः बैंक गया और रहन मुक्ति का नया अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 07.10.2020 को लाकर प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज ने मूल रहन मुक्त प्रमाण पत्र को पत्र क्रमांक/भू.अ.22020/6204 दिनांक 07.10.2020 से पटवारी हल्का, पालडी एम. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया, जिस पर पटवारी हल्का, पालडी एम. ने तहसीलदार, शिवगंज के पत्र दिनांक 07.10.2020 की पालना में दिनांक 28.10.2020 को नामान्तरकरण संख्या 3389 के संबंध में व नये सर रहन मुक्त नामान्तरकरण दायर करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज से मार्गदर्शन मांगा, जिस तहसीलदार, शिवगंज ने मूल दस्तावेज पुनः अपीलार्थी को देते हुए नामान्तरकरण संख्या 3389 को पुनः खुलवाने हेतु मौखिक रुप से सूचित किया। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 3389 को निरस्त किया जाकर नये सर रहन मुक्ति का नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, शिवगंज ने नामान्तकरण संख्या 3389 को बाद जांच नियमानुसार अस्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पालडी एम के खाता संख्या 25 खसरा संख्या 641 रकबा 5.17 बीघा, खसरा संख्या 1150 रकबा 2.10 बीघा व खसरा संख्या 1182 रकबा 14.17 बीघा भूमि के संयुक्त खातेदारों की उनके हक हिस्से अनुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के पक्ष में रहन भूमि का बैंक के पक्ष से रहन ह[illegible] द्वारा जारी अदेयता पत्र के आधार पर हल्का पटवारी, पालडी एम. द्वारा [illegible] नामान्तरकरण संख्या 3389 दायर किया गया, जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक, [illegible] एम द्वारा दिनांक 08.5.2018 को की गई जांच में इन्द्राज सही पाया जाने पर नामान्तरकरण को तहसीलदार, शिवगंज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:03 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

सिरोही (राज.)

सिरोही (राज.)

समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार, शिवगंज ने दिनांक 09.5.2018 को यह टिप्पणी अंकित कि रहन मुक्ति आदेशानुसार खातेदारान का मिलान नही हो रहा है, भू अभिलेख निरीक्षण जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट करे। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक, पालडी एम. द्वारा बाद जांच नामानतरकरण पर दिनांक 29.6.2018 को यह रिपोर्ट अंकित की गई कि भलीया हेमा पुत्र लखमा, उका, थाना पुत्र जगा का हिस्सा अलग खाता होने से रहन दर्ज नही है, खसरा संख्या 641, 1150, 1182 रहन है जिसमें इनका नाम नही है। भू अभिलेख निरीक्षक, पालडी एम. की रिपोर्ट पर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 29.6.2018 को नामान्तरकरण संख्या 3389 को अस्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी पक्ष का यह तर्क है कि अपीलार्थी ने बैक से नया अदेयता प्रमाण पत्र दिनांक 07.10.2020 को प्राप्त कर तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत किया है, लेकिन पूर्व में रहन मुक्ति का नामान्तरकरण संख्या 3389 को तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 29.6.2018 को अस्वीकृत कर दिये जाने से नामान्तरकरण संख्या 3389 को निरस्त कराये बिना पुन: नामान्तरकरण दर्ज नही हो सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की छाया प्रतियों का अवलोकन करने पर पाया कि भारतीय स्टेट बैक, शिवगंज शाखा ने बैक के पक्ष में रहन रखी गई कृषि भूमि ग्राम पालडी एम के खसरा संख्या 799, 1183, 799/1, 800, 1150, 641, 1182 कुल कृषि भूमि 18.26 बीघा से बैक के पक्ष से रहन हटाने हेतु खातेदार भलीया, हेमा पुत्र लखमा व अन्य के पक्ष में पत्र दिनांक 07.10.2020 को तहसीलदार, शिवगंज जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 3389 दिनांक 29.6.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, शिवगंज को भारतीय स्टेट बैक, शिवगंज शाखा द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.10.2020 के अनुसार पुन: नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पालडी एम., पटवार हल्का पालडी एम. के अस्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3389 दिनांक 29.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैक, शिवगंज शाखा द्वारा कृषि भूमि पर बैक के पक्ष से रहन हटाने के संबंध में खातेदार भलीया, हेमा पुत्र लखमा व अन्य के पक्ष में जारी पत्र दिनांक 07.10.2020 के अनुसार पुन: नियमानुसार नामान्तरकण दायर करवाकर बाद जांच निर्णित कर कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:03 IST
Reason: SelfAttested

2/2/2021
(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

सिरोही (राज०)